



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2023]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2009/अग्रहायण 12, 1931

No. 2023]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2009/AGRAHAYANA 12, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2009

का.आ. 3097(अ).—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 19 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय चिकित्सा परिषद्, महाराष्ट्र राज्य सरकार और कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई से सलाह-मशविरा करने के पश्चात् केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :

उक्त प्रथम अनुसूची में, मुख्य शीर्षक "कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई," शीर्षक "मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता" [स्तम्भ (2) में] और शीर्षक "पंजीकरण के लिए संक्षेपण" [स्तम्भ (3) में] के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियों, को हटा दिया जाएगा :

(2)

(3)

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई
की सदस्यता

एम.सी.पी.एस.

(यह अर्हता केवल तब एक मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी जब यह 30 अप्रैल, 1944 के उपरान्त प्रदान की गई हो)

कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स एंड सर्जन्स, मुम्बई
की मेडिसिन, विकृति विज्ञान, शल्य चिकित्सा
एवं त्वचा विज्ञान में अध्येतावृत्तियाँ

एफ.सी.पी.एस. (मेडि.)

एफ.सी.पी.एस. (विकृति विज्ञान)

एफ.सी.पी.एस. (शल्य चिकित्सा)

एफ.सी.पी.एस. (त्वचा विज्ञान)

(यह अर्हताएं केवल तब मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी जब ये 1 अप्रैल, 1954 के उपरान्त प्रदान की गई हों)

प्रसूति शास्त्र और स्त्री रोग विज्ञान में कॉलेज ऑफ
फिजिशियन्स एंड सर्जन्स की अध्येतावृत्तियाँ

एफ.सी.पी.एस. (प्रसूति शास्त्र एवं स्त्री रोग विज्ञान)

नेत्र विज्ञान, विकृति विज्ञान एवं जीवाणु विज्ञान डिप्लोमा
स्त्री रोग विज्ञान एवं प्रसूति विज्ञान डिप्लोमा

एफ.सी.पी.एस. (नेत्र विज्ञान)

डी.पी.बी

(2)	(3)
शिशु स्वास्थ्य डिप्लोमा	डी.जी.ओ, डी.सी.एच. ये अर्हताएं इस अनुसूची के अंतर्गत केवल तभी मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी जब ये उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई हों जिन्होंने इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य कोई चिकित्सा अर्हता प्राप्त की हुई हो।

[फा. सं. सी. 18018/3/2009-एम.ई. (पी-II)]

देबाशीष पांडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd December, 2009

S. O. 3097(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 19 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Central Government, after consulting the Medical Council of India, State Government of Maharashtra and College of Physicians and Surgeons, Bombay hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely :—

In the said First Schedule, following entries appearing under the main heading “COLLEGE OF PHYSICIANS AND SURGEONS, BOMBAY”, the heading “Recognized Medical Qualification” [in column (2)] and the heading “Abbreviation for Registration” [in column (3)], shall be deleted :

(2)	(3)
Membership of College of Physicians and Surgeons, Bombay	M.C.P.S. (This qualification shall be a recognized medical qualification only when granted after the 30th April, 1944.)
Fellowships of the College of Physicians and Surgeons, Bombay in Medicine, Pathology, Surgery & Dermatology	F.C.P.S. (Med.) F.C.P.S. (Path) F.C.P.S. (Surg.) F.C.P.S. (Derm.) (These qualifications shall be recognized medical qualifications only when granted after the 1st April 1954)
Fellowships of the College of Physicians and Surgeons, Bombay in Midwifery and Gynaecology.	F.C.P.S. (Mid. & Gyn.)
Fellowship of the College of Physicians Surgeons, Bombay in Ophthalmology	F.C.P.S. (Ophth.)
Diploma in Pathology & Bacteriology	D.P.B.
Diploma in Gynaecology & Obstetrics	D.G.O.
Diploma in Child Health	D.C.H.
	These qualifications shall be recognized medical qualifications under this schedule only when they are held by persons holding any other medical qualification specified in this Schedule.

[F. No. C. 18018/3/2009-ME (P-II)]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.